5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

72

CF ...

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्य प्रदेश

R 1231-II/06

नि०प्र०क्र० सन् 2006-07

1. संतलाल उर्फ मूलचन्द्र तनय गोकुल प्रसाद बडेरिया, उम्र 62 वर्ष,
2. रामस्वरूप तनय श्री मोहनलाल बडेरिया, उम्र 67 वर्ष,
3. मुकुन्दीलाल तनय रामप्रसाद बडेरिया "मृत" विधिक वारसान भारतलाल तनय मुकुन्दीलाल बडेरिया, उम्र 50 वर्ष, तीनो निवासियान ग्राम अमानगंज, तहसील गुनौर, जिला पन्ना, म०प्र०
4. श्रीश्री 1008 श्री लाडलीलाल जी मंदिर स्थित ग्राम - अमानगंज, तहसील गुनौर, जिला पन्ना, म०प्र० द्वारा - प्रबंधक गण एवं खातेदार संतलाल, रामस्वरूप तथा मुकुन्दीलाल (आवेदक क्रमांक 1 ता 3) ------------------- आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य ------------------- अनावेदक

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म०प्र० के निगरानी प्र०क्र०485/ए/19/96-97 में पारित - आदेश दिनांक 28.11.05 जिसके आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा जिलाध्यक्ष पन्ना के अपील प्र०क्र०1/अ-90बी(3)/93-94 में पारित आदेश दि० 20.5.94 एवं अनुविभागीय अधिकारी गुनौर का सीलिंग प्रकरण क्रमांक 32 अ-90बी(3) वर्ष75-76 में पारित आदेश दिनांक 9.6.89 यथावत स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गयी ।

निगरानी अंतर्गत धारा 42 सीलिंग - अधिनियम 1960

....2/-

रामस्वरूप तनय मोहनलाल बडेरिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1231–दो/2006 जिला–पन्ना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–अ.–17	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री डी0के0 शुक्ला उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 485/ए/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 28–11–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। 5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के धारा 9 के तहत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विवरणी प्रस्तुत की गई, जिसमें विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस	

जारी किया गया । अनुविभागीय अधिकारी उने अतिशेर्ष घोषित भूमि असिंचित 13.97 एकड़ ग्राम पिपरवाहा का सर्वेवार एवं रकबावार विवरण धारा 11 सहपठित धारा 6 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियम 10 के तहत अंतिम प्रकाशन प्रारूप फार्म–6 में किया जा सके। प्रत्येक खातेदार की विवरणी संलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी पन्ना ने अंतिम प्रकाशन प्रस्तुत किया जो पृष्ठ 39 पर संलग्न है। सभी खातेदारों के खसरा–खतौनी के अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर पन्ना के यहां पर आवेदकगण ने अपील प्रस्तुत की जो कि मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 41 के तहत अपील प्रस्तुत की गई, जिसे कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण में तथ्य एवं निष्कर्षों के आधार पर दिनांक 20.05.94 को जो आदेश पारित किया है वह बोलता हुआ आदेश है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा भी कलेक्टर पन्ना के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया है। जिसकी उद्घोषणा खुले न्यायालय में की गई है अर्थात् अपर आयुक्त भी कलेक्टर पन्ना के आदेश से सहमत है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से, उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पक्षकार चाहे तो अपने स्वत्व एवं आधिपत्य के समर्थन में सक्षम

न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। फलस्वरूप आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के आभाव में निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य